न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2023

अपील नामा0संख्या 19/23

RCMS NO-2023/ 122

बउनवानी:–1. हीराबाई पुत्री स्व0 श्री मोती पत्नि श्री बुद्वीप्रकाश बैरवा निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मोती बैरवा निवासी कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी बडा बस्ती थाना अनतपुरा तह0 व जिला कोटा
2. गीता पुत्री स्व0 श्री मोती पत्नि श्री मानसिंह बैरवा निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 334 निर्णय दिनांक 16.01.2013 वाके ग्राम गरडवास,तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार शर्मा — नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 31.5.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 334 निर्णय दिनांक 16.1.2013 वाके गरडवास, तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 2 मृतक मोती पुत्र रामनाथ के वारिसान है। मोती का देहान्त हो जाने पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा प्रशासन गांव संघ अभियान,2013 के दौरान जल्दबाजी में मृतक मोती पुत्र रामनाथ के वारिसान की सही जॉच किये बिना ही उक्त नामा0 भरकर पेश किया गया है जिसमे मुझ अपीलान्ट का नाम नही भरा गया है। यह तर्क भी दिया के अपीलान्ट मृतक मोती की सबसे बडी [illegible] तथा अपीलान्ट एवं रेस्पो. 1,2 की मॉ का देहान्त हो जाने पर अपील[illegible] 1,2 की देखभाल की है आदेश जैर अपील तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट की शादी हो चुकी थी इसलिए नामा0 भरकर तस्दीक करने की जानकारी नही होने के कारण उक्त नामा0 मे अपीलान्ट का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:12:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

जुडने से रह गया है। अब रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मुझ अपीलान्ट को वार त्योहारो ,शादी समारोह मे बुलाना बन्द कर दिया है। जिसके कारण अपीलान्ट को अपने समाज में नीचा देखना पडता है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फार्म भरवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर आदेश जैर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.8.2023 को नकल प्राप्त हुई है। अतः जानकारी प्राप्त होने से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान रेस्पो0 द्वारा आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम जोडने बाबत अपनी सहमति दी गयी है। पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के आधार पर स्व0 मोती की पुत्री बताया गया है किन्तु कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। यदि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 334 दिनांक 16.1.2013 मे अपीलान्ट का नाम जोड दिया जाता है तो राज्य हित प्रभावित नही हो रहा है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि मुताबिक मृतक मोती पुत्र रामनाथ के सजरा खानदान के अपीलान्ट हीरा बाई मृतक मोती की पुत्री हैं जिसका नाम आदेश जैर अपील मे जुडने से रह गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का नाम भी मृतक मोती की विरासत मे जुडना चाहिए एवं उसके नाम भी विरासत का नामा0 खोला जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 334 खोलते समय मृतक मोती के विधिक वारिसान की सही तरीके से जॉच नही की गयी है ऐसी स्थिति मे प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 334 निर्णय दिनांक 16.1.2013) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी साक्ष्य सबूत प्रस्तत करने का समुचित अवसर दिया जाकर एवं आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात के सभी सहखातेदारान की सहमति ली जाकर मृतक मोती की विरासत का नामान्तरकरण पुनः नये सिरे से मोती के सभी विधिक वारिसान के नाम भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:12:09 IST
Reason: SelfAttested

(कु0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner